भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3030

जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है

ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना

3030 श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि बिचौलियों और परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना देश में लगातार दुर्घटनाओं और बढ़ती मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने को कानूनी आयु की समीक्षा करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कई हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हितधारक की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(च) यह देश में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में किस प्रकार मदद करेगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय ने सा.का.नि 240(ई) 31 मार्च 2021 के द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 211ए के संदर्भ में, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 10 में संशोधन किया है और शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल के उपयोग का प्रावधान किया है। इसके अलावा, उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11 में भी संशोधन किया गया है, जिससे आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए

पूर्व-आवश्यकता के रूप में पोर्टल पर सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ट्यूटोरियल पूरा करना अनिवार्य हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस का अनुदान केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 में निर्धारित ड्राइविंग परीक्षण के अधीन है। मंत्रालय ने का.आ. 4353(ई) दिनांक 16 सितंबर, 2022 के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सुशासन सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सेवाओं को बेहतर सुनिश्चियन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से विभिन्न परिवहन संबंधी सेवाएं भी शुरू की हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य प्रदेश सरकारों के दायरे में आता है।

(ख) जी नहीं । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश किसी विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने की कानूनी उम्र की समीक्षा को कवर नहीं करते हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

*****